to look at this inclusion of *Ahimsa* in the Preamble of the Indian Constitution as requested by my leader Naveen Patnaik*ji* and the unanimous Resolution of the Odisha Vidhan Sabha in 2021. Thank you.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Dr. Sasmit Patra: Dr. Amar Patnaik (Odisha), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Shri Nabam Rebia (Arunachal Pradesh), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Vijay Pal Singh Tomar (Uttar Pradesh), Shri Jawhar Sircar (West Bengal), Shrimati Vandana Chavan (Maharashtra) and Shrimati Sulata Deo (Odisha).

Demand for prior approval of notified mineral Iron Ore Blocks in Tehsil Hindon, District Karauli, Rajasthan by the Central Government

श्री नीरज डांगी (राजस्थान): सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि राजस्थान राज्य का यह महत्वपूर्ण मामला शून्य काल के तहत इस सदन में उठाने का मुझे अवसर प्रदान किया गया है। राज्य में हम रोजगार को बढ़ाने की बात करें या राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की बात करें, इस दृष्टि में राज्य के चहुंमुखी विकास और उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ उस तरह के आयाम उपलब्ध होने चाहिए। चाहे वह पर्यटन का क्षेत्र हो या खान-खनिज का क्षेत्र हो, राजस्थान राज्य में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहतरीन संभावनाएं उपलब्ध हैं। सभापति महोदय, मैं इसी कड़ी में कहना चाहूँगा कि राजस्थान के करौली जिले में खनिज की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है एवं करौली जिले की तहसील हिंडौन के ग्राम लिलोटी, ग्राम देदरौली, ग्राम टोडूपुरा एवं ग्राम खोरा के समीप अधिसूचित खनिज आयरन-ओर ब्लॉक का अथाह भंडार विद्यमान है। अगर यहाँ पर आयरन-ओर खनिज का खनन किया जाता है, तो क्षेत्र के समग्र विकास में न सिर्फ यह एक ऐतिहासिक कदम होगा, बल्कि इस क्षेत्र के लिए रोजगार प्राप्त करने में हमें एक नया आयाम स्थापित करने का अवसर मिलेगा। एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 10बी (2) के अनुसार, खनिज नीलामी नियम, 2015 के नियम 16 के उप और नियम 1 के प्रावधान के साथ पढ़ा जाए, तो समग्र लाइसेंस देने के लिए अधिसूचित खनिज की नीलामी के लिए खान मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है। खनिज ब्लॉक की नीलामी के पुर्वानुमोदन हेतु और इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार ने पूर्व में केंद्र को प्रस्ताव भेजे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि राजस्थान के करौली जिले की तहसील हिंडौन के ग्राम लिलोटी, ग्राम देदरौली, ग्राम टोडूपुरा एवं ग्राम खोरा के समीप पाए जाने वाले अधिसूचित खनिज आयरन-ओर ब्लॉक की नीलामी हेतु पुर्वानुमोदन कर राजस्थान के धौलपुर और करौली क्षेत्र की जनता को अनुगृहित करें और वहाँ के समग्र विकास हेतु अपनी पहल करें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Neeraj Dangi: Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Shri Rajmani Patel (Madhya Pradesh) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Demand for age relaxation in the recruitment for Economically Weaker Sections (EWS) candidates

श्री दिग्विजय सिंह (मध्य प्रदेश): सभापति महोदय, मोदी सरकार ने एक काम बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने अनारक्षित वर्गों के बच्चों को केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण दिया, लेकिन आप देखेंगे, तो पाएंगे कि उसमें ऐसी शर्तें लगाई गई हैं, जिनकी वजह से अनारक्षित वर्गों के गरीब परिवारों की जो प्रति सीट संख्या है, वह बहुत कम है। उदाहरण के लिए, यूपीएसई रिक्रूटमेंट में अनुसूचित जाति वर्गों के 1,950 बच्चे एक सीट के लिए आ रहे हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स में एक सीट के लिए 1,355 एप्लिकेंट्स आ रहे हैं, ओबीसी में 1,225, लेकिन ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से केवल 569 आ रहे हैं। इसी तरह से आप अन्य कैटेगरीज़ में भी देखेंगे, चाहे वह यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज हों, यूपीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज़ हों। इसी तरह से युवतियों की संख्या भी प्रति सीट बहुत कम है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उनकी आयु और दूसरी शर्तों में कुछ relaxation दिया जाए। उदाहरण के लिए एससी, एसटी वर्ग के जो छात्र हैं, उनको केंद्रीय सेवाओं में आयु की छूट लगभग 5 वर्ष है, ओबीसी के बच्चों के लिए 3 वर्ष है, लेकिन ईडब्ल्यूएस सेक्शन के बच्चों के लिए age-relaxation नहीं है।

मेरी माननीय सदन के नेता और हमारे प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना है कि इस सेक्शन के लिए भी, अनारक्षित वर्ग के जो छात्र-छात्राएं हैं, उनको भी उसमें age-relaxation दिया जाना चाहिए। उनको लगभग 2 साल का age-relaxation दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए कई राज्यों ने, जैसे राजस्थान ने 5 साल कर दिया है, गुजरात ने 5 साल कर दिया है, हरियाणा ने 5 साल कर दिया है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश आदि राज्यों ने भी 5 साल का relaxation दे दिया है, इसी तरह से केंद्र सरकार को भी इसमें age-relaxation देना चाहिए।

इसी प्रकार कई जगह उन्होंने इन्कम की लिमिट भी हटा दी है। इसमें गुजरात और राजस्थान जैसे राज्य हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरी आपके माध्यम से यह मांग है कि इसमें अनारक्षित वर्गों के छात्र-छात्राओं को age और अन्य शर्तों में भी relaxation दिया जाए। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the issue raised by the hon. Member, Shri Digvijaya Singh: Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Shri Vijay Pal Singh Tomar (Uttar Pradesh), Shri Ajay Pratap Singh (Madhya Pradesh), Shri Kailash Soni (Madhya Pradesh), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Jawhar Sircar (West Bengal), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Shri Neeraj Dangi (Rajasthan), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Dr. John Brittas (Kerala), Shrimati Sulata Deo (Odisha), Shri Kanakamedala Ravindra Kumar